panel; if so, in what circumstances India had to yield to pressures from the developed countries; and

(c) the precise stand taken by different parties, and in what circumstances India had to yield?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) to (c) In pursuance of the provisions of Article 4 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) of the World Trade Organisations (WTO) and Article 64 of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, on 2 July 1996, the Government of the United States of America had sought consultations with India regarding the alleged absence in India of either patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products or formal systems that permit the filing of patent applications for such products and that permit the grant of exclusive marketing rights in such products. The consultations were held on 27 July 1996.

The DSU provides that the complaining party may request the Dispute Settlement Body (DSB) of the WTO to establish a panel to examine the allegation if the consultations fail to settle the dispute within sixty days after the date of receipt of the request for consultations. In accordance with these provisions, on 7 November 1996 the USA requested the establishment of a panel to examine this dispute. The DSB, at its meeting held on 20 November 1996 considered this request and decided to establish a panel.

Government of India is in the process of holding consultations in order to work out appropriate measures with regard to the amendment of the Indian Patents Act 1970.

निर्यात में हेराफेरी

2399. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात से संबंधित हेराफेरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(घ) निर्यात में हेराफेरी के लिए दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) निर्यातों के संबंध में विभिन्न प्रकार की हेरा-फेरी हो सकती है, जिनमें विदेशी मुद्रा का अप्रत्यावर्तन, बीजक में अधिक राशि दर्शाना, निर्यातों की अधिक मात्रा दर्शाने के लिए कागजात में जालसाजी अस्तित्वहीन कम्पनियां/सहायक विनिर्माताओं से निर्यात वस्तुओं की खरीद, वस्तुओं के विवरण की गलत घोषणा, निर्यातों के भार में वृद्धि करना, बोगस निर्यात आदि शामिल है। किए गए अपराध की प्रकृति के आधार पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्यात में हेरा-फेरी के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। इन अपराधों के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों और देश के अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जैसे वाणिज्य मंत्रालय/विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 जिसे अब विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 द्वारा प्रत्यास्थापित कर दिया गया है, प्रवर्तन महानिदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973, वित्त मंत्रालय द्वारा कोफेपोसा, आयकर अधिनियम, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आई०पी०सी०/आपराधिक दण्ड संहिता, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटांसिस अधिनियम द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इनके अलावा देश से कतिपय विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम भी हैं। इसलिए यह बताना संभव नहीं होगा कि गत तीन वर्षों के दौरान आमतौर पर निर्यात में हेराफेरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, या नहीं। जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का सम्बन्ध है, मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के संबंध में निर्यात से संबंधित अतिलंघन के मामले देखने में आए हैं

जिनमें मुख्यतया ऐसे निर्यात माल के लिए अपेक्षित शुल्क मुक्त आयातों को अधिक हकदारी के दावे के इरादे से निर्यात के बीजक की राशि को अधिक दर्शाया गया था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के दुरूपयोग को रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं, (1) केवल मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों पर आधारित मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम के प्रचालन को दुरूस्त करना (2) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम में मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में निर्यात दायित्व को अनिवार्य बनाना, (3) संवेदनशील सूची में आयात की मदों की संख्या बढ़ाना जोकि मूल्य आधारित लाइसेंसों के तहत मात्रा या मात्रा और मूल्य प्रतिबंधों के अधीन होती है, (4) रेशम जैसे कुछ क्षेत्रों में स्कीम को लागू न करना, (5) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम की विशिष्ट श्रेणियों के प्रचालन पर रोक लगाना (6) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अधीन निर्यात के अधिक मूल्यांकन के नियंत्रण के लिए 6-3-1995 को व्यापक अनुदेश जारी करना और (7) इस योजना के अधीन निर्यात करने से पहले मोडवेट के अनिराकरण की समस्या से निपटना, इसमें बाद में समायोजन के अधीन निर्यातकों को 1-4-1995 से आयात करते समय अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। यह भी निर्णय किया गया है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी ताकि मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अधीन निर्यात के मूल्य बीजक में अधिक दिखाने/गलत घोषित करने के पिछले मामलों का पता लगाया जा सके, जहां आयात हकदारी को कम करने या जुर्माना करने की व्यवस्था है।

(घ) महानिदेशक, विदेश व्यापार मुख्यालय द्वारा विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 और इसके अधीन बनाये गए नियमों के प्रावधानों के अधीन जुर्माना करने के लिए मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के 65 मामलों में कार्रवाई शुरू की गई है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने 361 मामलों में कार्रवाई पूरी कर ली है और 101 करोड़ रु० जिसे बचाने की कोशिश की गई थी, को वसूल कर लिया गया है। इसके अलावा, निर्यातकों द्वारा 32.88 करोड़ रु० अधिक की राशि के शुल्क वापसी के दावों को नामंजूर कर दिया गया है। 8.69 करोड़ रु० का जुर्माना लगाया गया है। निर्यातकों, क्लीयरिंग एजेंटों और निर्यात करने वाली फर्मों से संबंधित 59 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 14 व्यक्तियों को कोफेपोसा के अधीन हिरासत में रखा गया था। अन्य छह अधिकारियों को निलम्बित करने के अलावा दो सीमा शुल्क अधिकारियों को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन गिरफ्तार भी किया गया।

Number of Purchase Points of FCI in Andhra Pradesh

2400. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the total number of purchase points of FCI in Andhra Pradesh in 1995-96;

(b) whether there is a proposal to reduce this number in 1996-97; and

(c) if so, the reasons therefor;

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (A) The number of purchase centres operated by FCI in Andhra Pradesh in 1995-96 is as under:—

1995-96	No. of rice procurement centres	No. of paddy procurement centres
RABI (April, 95 to Sept., 95)	157	180
KHARIF (Oct., 95 to March 96)	149	121

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Non-payment of coal bills to CIL by the State Electricity Boards

2401. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Coal India